

सलाह 'क' अनुभाग

विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से संबंधित सलाह कार्य जैसा कि नीचे बताया गया है।

1. गृह मंत्रालय
2. विदेश मंत्रालय
3. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
4. रक्षा मंत्रालय
5. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
6. श्रम मंत्रालय
7. रसायन और उर्वरक मंत्रालय
8. इस्पात मंत्रालय
9. खान मंत्रालय
10. न्याय विभाग
11. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
12. कोयला मंत्रालय
13. संचार मंत्रालय
14. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
15. उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास
16. संघ लोक सेवा आयोग
17. कर्मचारी चयन आयोग
18. केंद्रीय सूचना आयोग
19. पोत परिवहन मंत्रालय
20. नागर विमानन मंत्रालय
21. जनजातीय कार्य मंत्रालय
22. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
23. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
24. पर्यटन मंत्रालय
25. भारत चुनाव आयोग
26. केंद्रीय सतर्कता आयोग

27. सभी मंत्रालयों और विभागों के गृह निर्माण अग्रिम मामलों सहित अभिहस्तांतरण मामले
28. बयलीसवां संविधान संशोधन-अदालतों में चुनौती- विषय से संबंधित पत्र-व्यवहार
29. इस मंत्रालय द्वारा दी गई कानूनी सलाह के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 11 के तहत आरटीआई आवेदन और तीसरे पक्ष के नोटिस
30. विविध कार्य अर्थात् डायरी, डिस्पैच, फाइलों की मार्किंग, पूर्व-उदाहरणों का पता लगाना, कैबिनेट नोट्स का रिकॉर्ड रखना, कैबिनेट मीटिंग्स, स्टेट बिल रजिस्टर, मूवमेंट रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर और विभाग के विभिन्न अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अनेक सलाह की व्यवस्था करना आदि और उचित शीर्षक, लघु विषयों और टाइप किए गए मंत्रालयों के अनुसार अनुभाग में विचारों की वार्षिक स्कैनिंग और अनुक्रमण, और सूचकांक के साथ राज्य विधेयक/निजी सदस्य विधेयक/कैबिनेट नोट और संक्षिप्त शीर्षक बनाने से पहले संसदीय आश्वासन रजिस्टर तैयार करना जिसमें प्रत्येक उदाहरण के विस्तृत और मिन्ट पढ़ने की आवश्यकता होती है

सलाह 'ख' अनुभाग

यह अनुभाग निम्नलिखित मंत्रालयों के सलाह कार्य को देख रहा है:-

1. वित्त मंत्रालय
2. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
3. भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय
4. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
5. रेल मंत्रालय
6. आवास और शहरी कार्य मंत्रालय
7. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
8. संसदीय कार्य मंत्रालय
9. लोकसभा सचिवालय
10. राज्य सभा सचिवालय
11. राष्ट्रपति सचिवालय
12. प्रधानमंत्री कार्यालय
13. कैबिनेट सचिवालय
14. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
15. जल शक्ति मंत्रालय
16. कपड़ा मंत्रालय
17. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
18. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
19. परमाणु ऊर्जा विभाग
20. विद्युत मंत्रालय
21. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
22. नीति आयोग
23. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
24. पर्यावरण और वन मंत्रालय
25. कृषि मंत्रालय
26. ग्रामीण विकास मंत्रालय
27. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
28. शिक्षा मंत्रालय

29. संस्कृति मंत्रालय
30. युवा मामले और खेल मंत्रालय
31. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
32. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
33. अंतरिक्ष विभाग
34. पंचायती राज मंत्रालय
35. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
36. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
37. मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
38. सहयोग मंत्रालय
39. आयुष मंत्रालय
40. विधि और न्याय मंत्रालय
41. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय।
42. संसदीय कार्य
43. सीओडी बैठकें
44. विविध कार्य अर्थात् डायरी, डिस्पैच, फाइलों की मार्किंग, पूर्व-उदाहरणों का पता लगाना, कैबिनेट नोट्स का रिकॉर्ड रखना, कैबिनेट मीटिंग्स, मूवमेंट रजिस्टर, इंडेक्स रजिस्टर और विभाग के विभिन्न अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अनेक सलाह की व्यवस्था करना आदि और उचित शीर्षक, लघु विषयों और टाइप किए गए मंत्रालयों के अनुसार अनुभाग में विचारों की वार्षिक स्कैनिंग और अनुक्रमण, और सूचकांक के साथ निजी सदस्य विधेयक/कैबिनेट नोट और संक्षिप्त शीर्षक बनाने से पहले संसदीय आश्वासन रजिस्टर तैयार करना जिसमें प्रत्येक उदाहरण के विस्तृत और मिनट पढ़ने की आवश्यकता होती है।

सलाह 'ग' अनुभाग

1. पुरानी सलाह और पूर्व उदाहरणों की समीक्षा और निराई करना।
2. विधि अधिकारियों की सलाह का समन्वय और रखरखाव।
3. सलाह के संबंध में केंद्रीय सूचकांक पर्चियों का समन्वय और रखरखाव।
4. अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए मामलों के विवरण पर विधि अधिकारियों की सलाह प्राप्त करना।
5. विधि अधिकारियों की सलाह का मुद्रण।
6. सलाह शाखा में विधि अधिकारियों की सलाह का सूचकांक और सलाह का सूचकांक।
7. वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपी गई किसी भी कानूनी समस्या पर अनुसंधान करना।
8. अंतर्राष्ट्रीय/सम्मेलन/बैठक से संबंधित दस्तावेजों और अभिलेखों का रखरखाव जिसमें अधिकारियों ने भाग लिया।
9. इस मंत्रालय द्वारा दी गई कानूनी सलाह के संबंध में विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 11 के तहत आरटीआई आवेदन और तीसरे पक्ष के नोटिस।